# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
## पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/327
दायरा तिथि : 14.08.2024
आदेश तिथि : 20-11-2024
प्रार्थी :— श्री महावीरसिंह तंवर पुत्र औंकारसिंह जाति राजपूत, निवासी न्यु बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर (राज.) वगैरा

ब ना म

अप्रार्थी :—
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

**आदेश** दिनांक: 20-11-24

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 612/6 रकबा 0.0800 हैक्टर व खसरा नंबर 609 रकबा 0.3200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 612 रकबा 15.4400 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/2276 दिनांक 21.10.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, नाना की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी के खेत से कटान मार्ग के लिए आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र स्त्रोत है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता समस्त रास्तों के विकल्पों में से निकटतम है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है।
4. यह है कि ग्राम कोठार में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्र.सं. | खसरा नंबर | रकबा हैक्टर में | किस्म | रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल | नाम खातेदार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 | 15.44 हैक्टर | बा. सो. | 42X9.9=381.78 वर्गमीटर | राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार |

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

5. यह कि भू–अभिलेख निरीक्षक नाना की रिपोर्टनुसार प्रस्तावित प्रस्तावित रास्तो के खसरो की डी.एल.सी. दर 1,24,102 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण, ढाणी या पुराना वृक्ष नहीं है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024/327**

अनवान महावीरसिंह वगैरा बनाम सरकार

*अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955*

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 612/6 रकबा 0.0800 हैक्टर व खसरा नंबर 609 रकबा 0.3200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/2276 दिनांक 21.10.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 612/6 रकबा 0.0800 हैक्टर व खसरा नंबर 609 रकबा 0.3200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 612 रकबा 15.4400 हैक्टर में से 378 **वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

| खसरा नंबर | रकबा हैक्टर में | रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल | डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये | देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,24,102 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि | नाम खातेदार |
|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 15.44 हैक्टर | 42X09=378 वर्गमीटर | 13 | 4914X2=9,828 | राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार |

**प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 9,828/– (अक्षरे नौ हजार आठ सौ अट्ठाईस रूपये मात्र )** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(किशि बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2024/2327-2331

दिनांक : 20.11.2024

**प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–**

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री महावीरसिंह तंवर पुत्र औंकारसिंह जाति राजपूत, निवासी न्यु बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर (राज.) वगैरा को सूचनार्थ।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with CamScanner

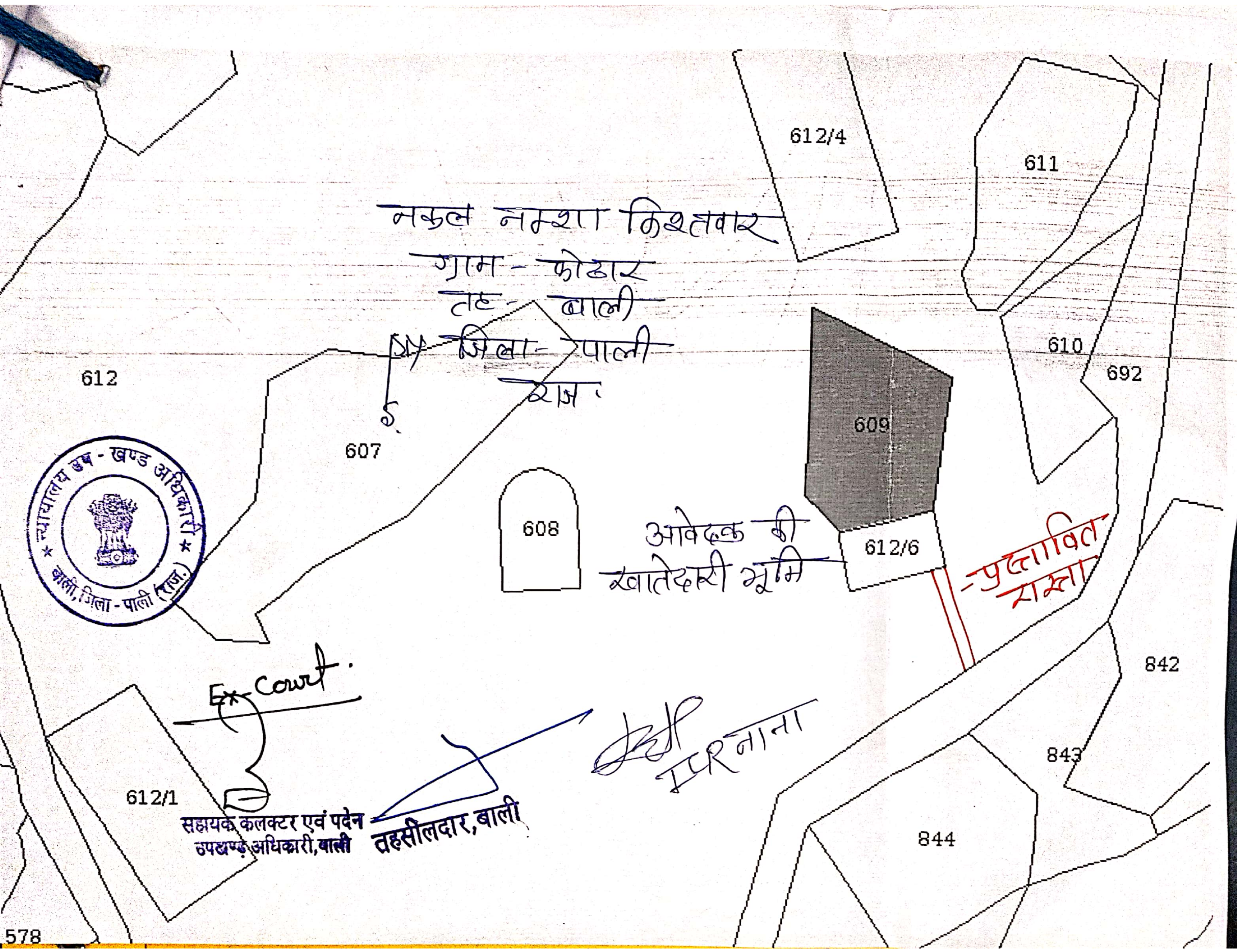


Scanned with CamScanner